भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1745

01 अगस्त, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

पीएमएवाई-यू का पुनर्गठन

1745. डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियनः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार शहरी गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) का पुनर्गठन कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम जैसे कारकों पर विचार कर रही है जो तमिलनाडु में पशुओं और पर्यावरण दोनों को प्रभावित करते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 2023-24 में पीएमएवाई-यू के तहत मदीपक्कम, सुन्नम्बू, कोलाथुर और पेरुंबक्कम में कितने घरों का निर्माण किया गया है; और

(घ) मदीपक्कम, सुन्नम्बु, कोलाथुर और पेरुंबक्कम में संशोधित योजना के तहत घरों की संख्या और स्थान का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ): 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। अतः, अपने नागरिकों के लिए आवास से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा किया जाता है। तथापि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) देश भर के शहरी क्षेत्रों में पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए 25 जून, 2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को पूरा करने में सहायता करता है। यह योजना चार घटकों अर्थात लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), स्व-स्थाने स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) और ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है। 22.07.2024 के स्थिति के अनुसार पीएमएवाई-यू के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार

पर, मंत्रालय द्वारा शहरी क्षेत्रों में कुल 118.64 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 114.33 लाख आवास निर्माणाधीन है और 85.04 लाख आवास पूरे हो चुके हैं/लाभार्थियों को सुपुर्द किए जा चुके हैं। शेष आवास निर्माण कार्य के विभिन्न चरणों में हैं। फंडिंग पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति को बदले बिना, सभी स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए, योजना के सीएलएसएस घटक को छोड़कर, योजना को 31.12.2024 तक बढ़ा दिया गया है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 10.06.2024 को पात्र परिवारों की संख्या में वृद्धि से उत्पन्न आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी परिवारों को आवासों के निर्माण हेतु सहायता प्रदान करने का संकल्प लिया है।

वर्ष 2024-25 के बजट के अनुसार, पीएमएवाई-शहरी 2.0 का लक्ष्य 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश और 2.20 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता के साथ 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है।

वर्ष 2023-24 में मदीपक्कम, सुन्नम्बू, कोलाथुर और पेरुम्बक्कम में पीएमएवाई-यू के अंतर्गत स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूर्ण/लाभार्थियों को सुपुर्द किए गए आवासों की संख्या का ब्यौरा अनुलग्नक में है।

*****

दिनांक 01.08.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1745 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वर्ष 2023-24 में मदीपक्कम, सुन्नम्बू कोलाथुर और पेरुम्बक्कम में पीएमएवाई-यू के अंतर्गत स्वीकृत, पूर्ण/लाभार्थियों को सुपुर्द किए गए आवासों की संख्या का ब्यौरा

शहर	**स्वीकृत आवास(संख्या)**		**पूर्ण/सुपुर्द आवास (संख्या)**	
	आरम्भ से	**2023-24 के दौरान**	**आरम्भ से**	**2023-24 के दौरान**
मदिपक्कम	**603**	शून्य	**603**	शून्य
सुन्नम्बू कोलाथुर	**190**	शून्य	**179**	**2***
पेरुम्बक्कम	**33**	शून्य	**33**	शून्य

*इसमें पूर्व वर्षों में स्वीकृत आवासों को अवधि के दौरान ही पूरा कर लिया गया है।